

पत्रांक-बि0क0च0आ0-प्र0-03 / परीक्षा-विविध(आशु0-20 / 2023 खण्ड-02).....

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14
आवश्यक सूचना

ज्ञापांक:- 3091/311.

पटना, दिनांक:- 14.9.2024

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-18802/2017, डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विचार मंच, बिहार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध SLP (c) No.-18294/2021, आशीष रजक बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक-15.07.2024 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या-9532, दिनांक-01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या-723, दिनांक-02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14064, दिनांक-04.09.2024 द्वारा संशोधित अनुशंसा सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

तदालोक में वि0सं0-01/23, पद-आशुलिपिक/अनुदेशक (आशुलेखन) के अंतर्गत पान, पनार, स्वासी (पान) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति कोटि में चयनित निम्नलिखित-14 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अद्यतन जाति प्रमाण-पत्र/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र (जो लागू हो) एवं घोषणा-पत्र के साथ दिनांक-30.09.2024 को कार्यालय अवधि में आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र0सं0	नाम	अनुक्रमांक
01	कार्तिक कुमार	401961
02	शालीनी कुमारी	404705
03	सोनु कुमार	404843
04	अभिषेक कुमार	406202
05	गौरव कुमार	406613
06	पंकज कुमार	406649
07	ममता कुमारी	409385
08	रिया सेन	409866
09	मनीष कुमार	411340
10	सुप्रिया सपना	411608
11	प्रवीण कुमार	412218
12	बिक्की कुमार	412828
13	राजीव कुमार	414854
14	राज कुमार तांती	414884

उल्लेखनीय है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा दिनांक-14.09.2024 के बाद की तिथि में निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य है।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट-<https://bssc.bihar.gov.in> का सतत् अवलोकन करते रहेंगे।

अनु0:-घोषणा-पत्र प्रपत्र।

विश्वसभाजन
14/09/2024
सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

घोषणा-पत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-18802/2017, डॉ० भीमराव अम्बेदकर विचार मंच, बिहार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध SLP (c) No.-18294/2021, आशीष रजक बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक-15.07.2024 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या-9532, दिनांक-01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या-723, दिनांक-02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

तदालोक में वि०सं०-01/23, पद-आशुलिपिक/अनुदेशक(आशुलेखन) के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री अनुक्रमांक जाति कोटि(SC/EBC)..... अपना अद्यतन (दिनांक-14.09.2024 के बाद की तिथि में निर्गत) जाति प्रमाण-पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र दिनांक-..... को समर्पित करता हूँ।

नाम:-

पिता/पति का नाम:-

पता:-

प्रमाण-पत्र संख्या:-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर